समाहरणालय, पूर्णियाँ

(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

निविदा संख्या–02/2013–14

बाढ़ आपदा से निपटने एवं बचाव कार्य के लिए पूर्णियाँ जिले में पोलीथीन सीट्स की आवश्यकता है। दर निर्धारण एवं आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं से एतद् द्वारा सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है–

निविदादाताओं को मो0–10,000.00 (दस हजार) रू0 जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जिला नजारत प्रशाखा, पूर्णियाँ में जमा करना होगा, जो जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के नाम से भुगतेय होगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि ....3/1/14....के अपराह्न 2.00 बजे तक होगी। प्राप्त निविदा को उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें स्वयं निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

पोलीथीन सीट्स का विवरण

क्र0	आकार	आपूर्ति किये जाने वाले समाग्री का नाम	गुणवत्ता	मात्रा	दर
1	4mx5m	पोलीथीन सीट्स	Low density Polyethylene फिल्म ग्रेड–030 मोटाई–250 Micron (ISI) Black sheets	10,000 (दस हजार) सीट्स	DGS&D द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप (सभी कर, अधिभार, शूल्क, परिवहन व्यय सहित)

निविदा की आवश्यक शर्त्तें :–

1. निविदादाता को पोलीथीन सीट्स की आपूर्ति DGS&D द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानको के अनुरुप करना होगा तथा पोलीथीन का सेम्पल संलग्न करना होगा।
2. निविदा के साथ अपने प्रतिष्ठान की अनुज्ञप्ति, वाणिज्यकर, निबंधित वैट संख्या एवं आयकर विभाग का स्वच्छता प्रमाण पत्र पी0एन0आर0 संख्या सहित संलग्न करना आवश्यक होगा।
3. निविदादाता को उक्त समाग्री आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अंदर जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय, पूर्णियाँ में आपूर्ति करनी होगी। आपूर्ति हेतु कोई परिवहन व्यय अलग से देय नहीं होगा।
4. राज्य में प्रवेशकर निविदादाता को देना होगा।
5. उक्त निर्धारित समय सीमा के अंदर यदि निविदादाता द्वारा समाग्री आपूर्ति नहीं की जाती है तो निर्गत आपूर्ति आदेश को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा तथा इनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई भी की जा सकती है।
6. पोलीथीन सीट्स आपूर्ति हेतु कोई अग्रिम देय नहीं होगा।
7. आपूर्ति की जानेवाली पोलीथीन सीट्स DGS&D द्वारा निरीक्षित तथा प्रमाणित होना चाहिये।
8. आपूर्ति की जानेवाली पोलीथीन सीट्स का विपत्र राशि से भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार बी0एस0टी0/टी0ओ0टी0 देय होगा, जिसका कटौती एक मुश्त भुगतान के समय की जायेगी तथा एकाउन्ट पेई चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा। उन्हे अपने बैंक खाते का विवरण निश्चित रूप से समर्पित करना होगा।

9. निविदादाताओं को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनका प्रतिष्ठान/फार्म काली सूची में दर्ज नहीं है।
10. स्वीकृत निविदादाता को छोड़कर शेष की जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
11. उक्त निविदा के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय अवधि में जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय, समाहरणालय परिसर पूर्णियॉ से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। जिसका दूरभाष संख्या–06454–242319 है।
12. बिना कारण निविदा रद्ध करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

Sd/-
जिला पदाधिकारी,
पूर्णियॉ।

ज्ञापांक 820 /आ0प्र0, पूर्णियॉ, दिनांक 10/12/2013

प्रतिलिपि :– सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्णियॉ जिला को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम, पूर्णियॉ/नगर पंचायत कसबा एवं बनमनखी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णियॉ जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला लेखा पदाधिकारी, पूर्णियॉ/नजारत उप समाहर्त्ता, पूर्णियॉ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णियॉ को विस्तृत प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि दो दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, N.I.C पूर्णियॉ/आई0 टी0 मैनेजर, पूर्णियॉ को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पूर्णियॉ जिला के अधिकारिक वेवसाईट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपि :– महाप्रबंधक, जिला उधोग केन्द्र पूर्णियॉ को सूचनार्थ प्रेषित। समाग्री आपूर्ति होते ही आप इसके गुणवत्ता एवं विशिष्टयों की मानक जॉच कर समाग्री के संबंध में प्रमाण पत्र जिला आपदा प्रबंधन शाखा, पूर्णियॉ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को निविदा आदेश की पॉच प्रति एवं सी0डी0 एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियॉ।